न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
6(ए) वाद संख्या–72 / 2011
सरकार बनाम विजली पासवान एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
10/07/15	**आदेश** अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद अनुमंडल पदाधिकारी, बिरौल के पत्रांक–1688 / गो0 दिनांक–18.10.11 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धनश्यामपुर थाना कांड सं0–92 / 11 में जप्त किरासन तेल को अधिहरण करने हेतु प्रारम्भ किया गया। जप्त किरासन तेल खराब होने की संभाव्यता के मद्देनजर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.11.2011 को पारित आदेश सें जप्त 1870 लीटर किरासन तेल को जन वितरण प्रणाली बिक्रेता के माध्यम सें निर्धारित दर पर बिक्री कर प्राप्त राशि अनुमंडल नजारत में जमा करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को आदेश दिया गया। साथ ही विपक्षी को अपना कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। सूचना के तामिलोपरान्त विपक्षी सदस्य के द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल के पत्रांक–262 / गो0 दिनांक–04.02.12 से प्रतिवेदित किया गया है कि जप्त 1870 लीटर किरासन तेल की बिक्री पश्चात् प्राप्त मुल्य–27190.00 रूपये मात्र अनुमंडल नजारत में जमा कर दिया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के सदस्य दिनांक 17.08.12 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को विस्तारपूर्वक सुना। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि विपक्षी को घनश्यामपुर थाना काण्ड सं0–92 / 11 में जप्त किरासन तेल से कोई सरोकार नही है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल द्वारा जप्त 1870 लीटर किरासन तेल की बिक्री पश्चात् प्राप्त राशि मो0–27190.00 रूपये मात्र को राज्यसात (Confiscate) करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध करते है। विपक्षी के द्वारा दिनांक–16.06.2012 को दाखिल प्रतिउत्तर आवेदन में उल्लेख किया गया है कि घनश्यामपुर थाना काण्ड सं0–136 / 2011 में अंतिम जाँच पत्र मे उक्त काण्ड को गलत पाया गया है जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। ऐसे में वाद की कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध करते हैं। विद्वान विशेष अभियोजक, दरभंगा को सुनने एवं अभिलेख पर संधारित तथ्यों के समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि विपक्षी सदस्य के द्वारा घनश्यामपुर थाना काण्ड सं0–92 / 11 में जप्त किरासन तेल से काई सरोकार नही रहने के कारण न तो उनके द्वारा दावा किया गया है और न ही उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट किया गया है। विपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण स्पष्ट होता है कि उन्हें इस कार्यवाही में कोई अभिरूचि नही रह गयी है और न ही उनके पास दावा स्थापित करने हेत् कोई ठोस साक्ष्य है।	